रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-18092024-257216
CG-MH-E-18092024-257216

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 727] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 18, 2024/भाद्र 27, 1946
No. 727] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 2024/BHADRA 27, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 17 सितम्बर, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
[असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/205 —भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (1) के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा ।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 में,-

(1) विनियम 27 में,

(क) उप-विनियम (2) में, शब्दों तथा चिह्न "सात कार्य-दिवसों" के स्थान पर शब्द "पाँच दिनों" आ जाएँगे, और चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न ":" आ जाएगा; और

(ख) उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्–

"परंतु यह कि जिन निर्गमकर्ताओं (इश्युअर) की निर्धारित प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) राष्ट्रव्यापी ट्रेडिंग टर्मिनलों वाले मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, वे स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के यहाँ प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल करने की तारीख के ठीक अगले दिन उसे वेबसाइट पर डलवाएँगे, और जो एक दिन के लिए डलवाया जाएगा ।"

(2) विनियम 30 में,

(क) उप-विनियम (1) में, शब्दों तथा चिह्नों "एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र में तथा जहाँ निर्गमकर्ता का रजिस्ट्रीकृत (पंजीकृत) कार्यालय स्थित हो वहाँ व्यापक परिचालन वाले क्षेत्रीय भाषा के दैनिक समाचारपत्र में एक विज्ञापन जारी करेगा," के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे ऑनलाइन समाचारपत्रों के जरिए अथवा निर्गमकर्ता (इश्युअर) या स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के जरिए, अथवा एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र में और जिस प्रदेश में निर्गमकर्ता (इश्युअर) का रजिस्ट्रीकृत (पंजीकृत) कार्यालय स्थित हो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा के जिस दैनिक समाचारपत्र को सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हों उस दैनिक समाचारपत्र में एक विज्ञापन जारी करेगा, " आ जाएंगे; और

(ख) उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्–

"परंतु यह कि जो निर्गमकर्ता (इश्युअर) पब्लिक इश्यू (सार्वजनिक निर्गम) का विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए जारी करना चाहते हों, उन्हें एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र में और जिस प्रदेश में निर्गमकर्ता (इश्युअर) का रजिस्ट्रीकृत (पंजीकृत) कार्यालय स्थित हो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा के जिस दैनिक समाचारपत्र को सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हों उस दैनिक समाचारपत्र में एक सूचना (नोटिस) प्रकाशित करवानी होगी, और उसमें वह क्यूआर कोड छपवाना होगा जिसे स्कैन करके पूरा विज्ञापन देखा जा सकता हो और वह लिंक भी छपवाना होगा जिसके जरिए पूरा विज्ञापन देखा जा सकता हो ।"

(3) विनियम 33क में,

(क) उप-विनियम (1) में, शब्द "तीन" के स्थान पर शब्द "दो" आ जाएगा ।

(ख) उप-विनियम (2) में, शब्दों तथा चिह्न "तीन कार्य-दिवसों" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "एक कार्य-दिवस" आ जाएँगे ।

(4) अनुसूची-I में,

(क) पैरा 3.3.2 में, खंड (क) में,

(i) शब्द तथा चिह्न "उनके निजी पते," हट जाएँगे ।

(ii) चिह्न तथा शब्द ", उनकी स्थायी खाता संख्या" हट जाएँगे ।

(ख) पैरा 3.3.2 में, खंड (ख) में, शब्दों "तथा पासपोर्ट संख्या" के स्थान पर चिह्न तथा शब्द ", पासपोर्ट संख्या तथा निजी पते" आ जाएँगे ।

(ग) पैरा 3.3.8 में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,–

"(घ) जिन शाखाओं या यूनिटों से निर्गमकर्ता (इश्युअर) अपनी कारोबारी गतिविधियाँ (यदि कोई हों) चलाता हो, उनके ब्यौरे स्टैटिक क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड और वेब लिंक के जरिए दिए जा सकेंगे ।

यदि निर्गमकर्ता (इश्युअर) स्टैटिक क्यूआर कोड और वेब लिंक के जरिए शाखाओं या यूनिटों के ब्यौरे प्रदान करे, तो ऐसे में उपरोक्त शाखाओं या यूनिटों के ब्यौरे डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) को भी दिए जाएँगे और उन्हें निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध करवाना होगा, जैसा इस अनुसूची के पैरा 3.3.41 के खंड (छ) में जिक्र किया गया है । "सिक्यूरिटी कोविनेन्ट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम" की जाँच-सूची (चेकलिस्ट) में यह मद शामिल की जाएगी कि डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) को निर्गमकर्ता (इश्युअर) की शाखाओं या यूनिटों के बारे में जानकारी दे दी गई है और डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) द्वारा उसकी पुष्टि भी की जाएगी ।"

(घ) पैरा 3.3.8 में, खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ङ) आए पैसों (प्रोसीड्स) का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ किया जाएगा (क्रमानुसार यह बताते हुए कि उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ कितना-कितना किया जाएगा): (i) प्लेसमेंट करने का उद्देश्य; (ii) जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा जुटाया जा रहा हो, उसमें खर्चा कहाँ-कहाँ और कितना-कितना किया जाएगा; (iii) प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहाँ-कहाँ से जुटाया जाएगा; (iv) आए पैसों (प्रोसीड्स) में से कितनी-कितनी रकम प्रोजेक्ट में कब-कब लगाई जाएगी।"

(ङ) पैरा 3.3.10 में, खंड (ङ) में, शब्दों "समेकित तथा एकल आधार पर" से पहले, शब्द तथा चिह्न "ऊपर खंड (क) से (ग) के अनुसार दी जाने वाली वित्तीय जानकारी के संबंध में" जोड़े जाएँगे ।

(च) पैरा 3.3.37 में,

(i) शब्दों तथा चिह्नों "निगमित निकाय के मामले में निदेशक और यदि निर्गमकर्ता निगमित निकाय न हो, तो ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति यह पुष्टि करेंगे कि:" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति यह पुष्टि करेंगे कि:" आ जाएँगे ।

(ii) खंड (ङ) के बाद, निम्नलिखित नए खंड जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

"(च) निदेशक मंडल ने दस्तावेज में दिए गए हर तथ्य को ध्यान से पढ़ लिया है, और दस्तावेज में दिए गए हर तथ्य की जिम्मेदारी पूरी तरह से निदेशक मंडल पर ही रहेगी ।

यदि निर्गमकर्ता (इश्युअर) कोई निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) हो, तो निम्नलिखित को प्राधिकृत व्यक्ति (अथॉराइज़्ड पर्सन) माना जाएगा:

i. कार्यपालक अध्यक्ष और अनुपालन अधिकारी (कम्प्लांयस ऑफिसर); या

ii. प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) या मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर) और अनुपालन अधिकारी; या

iii. मुख्य वित्तीय अधिकारी (चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर) और अनुपालन अधिकारी; या

iv. पूर्णकालिक निदेशक (होल-टाइम डाइरेक्टर) और अनुपालन अधिकारी; या

v. प्रबंध-मंडल के कोई दो मुख्य व्यक्ति (की मैनेजेरियल पर्सन) ।

(छ) उन्हें इस खंड के अनुसार पुष्टि करने के लिए, यथास्थिति, निदेशक मंडल या गवर्निंग बॉडी द्वारा एक संकल्प [जिसकी प्रति प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में भी लगाई गई है] पारित करके विधिवत रूप से प्राधिकृत किया गया है ।"

(छ) पैरा 3.3.41 में, खंड (ख) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक आ जाएँगे, अर्थात्, -

“परंतु यह कि ऊपर उप-खंड (i) से (iv) के अनुसार उन पाँच वेंडरों की जानकारी (डिस्क्लोज़र) दी जानी है, जिन्हें सबसे ज्यादा रकम अदा की जानी हो:

परंतु यह और कि बाकी के वेंडरों की ऐसी जानकारी प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में समेकित रूप से दी जा सकेगी, जिसमें यह बताना होगा कि अचल संपत्तियाँ कितने वेंडरों से ली जा रही हैं और कुल-मिलाकर उन्हें कितनी रकम अदा की जा रही है; और ऊपर उप-खंड (i) से (iv) के अनुसार जो जानकारी विस्तार से दी जानी है, वह स्टैटिक क्यूआर कोड और वेब लिंक के जरिए दी जा सकेगी । यदि निर्गमकर्ता (इश्युअर) उपरोक्त ब्यौरे स्टेटिक क्यूआर कोड और वेब लिंक के जरिए देता है, तो वे डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) को भी दिए जाएँगे और उन्हें निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध करवाना होगा, जैसा इस अनुसूची के पैरा 3.3.41 के खंड (छ) में जिक्र किया गया है । “सिक्यूरिटी कोविनेन्ट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम” की जाँच-सूची (चेक-लिस्ट) में यह मद शामिल की जाएगी कि डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) को विस्तार से जानकारी दे दी गई है [जिसका जिक्र ऊपर उप-खंड (i) से (iv) में किया गया है] और डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) द्वारा उसकी पुष्टि भी की जाएगी ।”

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./496/2024-25]

<u>पाद टिप्पण</u> :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/39, 9 अगस्त, 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 तत्पश्चात्:

   (i) 11 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/77, द्वारा,

   (ii) 9 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/102, द्वारा,

   (iii) 2 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/119, द्वारा,

   (iv) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा,

   (v) 4 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा,

(vi) 6 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/135, द्वारा

(vii) 18 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146, द्वारा,

(viii) 10 जुलाई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/190, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th September 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF NON-CONVERTIBLE SECURITIES) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/205.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, namely –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Second Amendment) Regulations, 2024.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, -

(1) in regulation 27,

(a) in sub-regulation (2), the words "seven working" shall be substituted with the words "five" and the symbol "." shall be substituted with the symbol ":"; and

(b) after sub-regulation (2), the following shall be inserted, namely –

"Provided that issuers whose specified securities are listed on a recognised stock exchange having nationwide trading terminals shall post the draft offer document filed with stock exchange(s) for one day immediately after the date of filing the draft offer document with stock exchange(s)."

(2) in regulation 30,

(a) in sub-regulation (1), after the words "issuer shall make an advertisement", the words "through electronic modes such as online newspapers or website of the issuer or the stock exchange, or" shall be inserted; and

(b) after sub-regulation (1), the following shall be inserted, namely –

"Provided that issuers opting to advertise the public issue through electronic modes shall publish a notice, in an English national daily and regional daily newspaper with wide circulation at the place where the registered office of the issuer is situated, exhibiting a QR Code and link to the complete advertisement."

(3) in regulation 33A,

(a) in sub-regulation (1), the word "three" shall be substituted with the word "two".

(b) in sub-regulation (2), the words "three working days" shall be substituted with the words "one working day".

4. In Schedule I,

(a) in paragraph 3.3.2, in clause (a),

(i) the words and symbol "personal addresses," shall be omitted.

(ii) the words and symbol ", permanent accountant number" shall be omitted.

(b) in paragraph 3.3.2, in clause (b), the words "and passport number" shall be substituted with the words and symbols ", passport number and personal addresses".

(c) in paragraph 3.3.8, clause (d) shall be substituted with the following, namely,–

"(d) Details of branches or units where the issuer carries on its business activities, if any may be provided in the form of a static Quick Response (QR) code and web link.
If the issuer provides the details of branches or units in the form of a static QR code and web link, the details of the said branches or units shall be provided to the debenture trustee as well and kept available for inspection as specified in clause (g) of paragraph 3.3.41 of this Schedule. A checklist item in the 'Security and Covenant Monitoring System' shall also be included for providing information about branches or units of the issuer to the debenture trustee and confirmation of the same by the debenture trustee."

(d) in paragraph 3.3.8, clause (e) shall be substituted with the following, namely,-

"(e) Use of proceeds (in the order of priority for which the said proceeds will be utilized): (i) purpose of the placement; (ii) break-up of the cost of the project for which the money is being raised; (iii) means of financing for the project; (iv) proposed deployment status of the proceeds at each stage of the project."

(e) in paragraph 3.3.10, in clause (e), after the words "consolidated and standalone basis", the words and symbols "in respect of the financial information provided under clauses (a) to (c) above" shall be inserted.

(f) in paragraph 3.3.37,

(i) The words and symbol "The directors in case of a body corporate and such authorized persons in case the issuer is not a body corporate shall attest that" shall be substituted with the words and symbol "The persons authorised by the issuer shall attest that:"

(ii) after clause (e), the following new clauses shall be inserted, namely,-

"(f) The contents of the document have been perused by the Board of Directors, and the final and ultimate responsibility of the contents mentioned herein shall also lie with the Board of Directors.

The following shall be the authorised persons in case the issuer is a body corporate:

i. executive Chairperson and compliance officer; or

ii. Managing Director or Chief Executive Officer and compliance officer; or

iii. Chief Financial Officer and compliance officer; or

iv. whole-time director and compliance officer; or

v. any two key managerial personnel.

(g) they are duly authorised to attest as per this clause by the board of directors or the governing body, as the case may be, by a resolution, a copy of which is also disclosed in the offer document."

(g) in paragraph 3.3.41, in clause (b), the proviso shall be substituted with the following, namely,-

"Provided that the disclosures specified in sub-clauses (i) to (iv) above shall be provided for the top five vendors on the basis of value viz. sale consideration payable to the vendors.

Provided further that for the remaining vendors, such details may be provided on an aggregated basis in the offer document, specifying number of vendors from whom it is being acquired and the aggregate value being paid; and the detailed disclosures as specified in sub-clauses (i) to (iv) above may be provided by way of static QR code and web link. If the issuer provides the said details in the form of a static QR code and web link, the same shall be provided to the debenture trustee as

well and kept available for inspection as specified in clause (g) of paragraph 3.3.41 of this Schedule. A checklist item in the 'Security and Covenant Monitoring System' shall also be included for providing the detailed disclosures, as specified in sub-clauses (i) to (iv) above, to the debenture trustee and confirmation of the same by the debenture trustee."

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./496/2024-25]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India on August 9, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/39.
2. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, were subsequently amended on:

   (i) April 11, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2022 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/77.

   (ii) November 9, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Second) (Amendment) Regulations, 2022 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/102.

   (iii) February 2, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/119.

   (iv) February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.

   (v) July 4, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD–NRO/GN/2023/137.

   (vi) July 6, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/135.

   (vii) August 18, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.

   (viii) July 10, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2024 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/190.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.